न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—315/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

गुरदासो पत्नी गुरमीत सिह पुत्री सम्पूर्ण सिह जाति आराई निवासी मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर (पंजाब)

वादीया

बनाम

1. सम्पूर्ण सिंह पुत्र श्री कर्म सिह उर्फ करनैल सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रमेश कौर पत्नी सम्पूर्ण सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. रीना पत्नी टींकू सिह पुत्री सम्पूर्ण सिह जाति अराई निवासी मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर (पंजाब)
4. जसपाल सिह } पिसरान सम्पूर्ण सिह जाति अराई निवासी मानकसर
5. रेशम सिह } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री नवरत्न स्वामी— वकील वादीया
2— श्री राजकुमार स्वामी— वकील प्रति सं. 1 ता 5

निर्णय दिनांक :— 21.10.2019

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे दर्ज है। वादीया का पिता प्रतिवादी नं. 1 तहसील संगरिया के चक 18 एमकेएस खाता संख्या 24/49 में 0.253 है व चक 19 एमकेएस खाता संख्या 40/43 में 0.289 है व 0.102 है. बराबर 0.391 है व चक 19 एमकेएस के खाता संख्या 16/38 में 0.259 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा प्रस्तुत है। राजस्व रिकार्ड में पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि हमारी विरासनत है जिसमें वादिया का जन्मजात हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 उक्त विरास्तन कृषि भूमि मे से कोई हक व हिस्सा लेना नहीं चाहते। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का आपस मे घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है घरू बंटवारा के मुताबिक वादीया के हक मे चक 18 एमकेएस खाता नं. 24/49 में 0.253 है व चक 19 एमकेएस खाता संख्या 46/43 में से 0.253 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है चूकि उक्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन होने के कारण वादिया जन्म जात हिस्सेदार है। अतः वादिया घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की हक दार एव दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1

ता 5 से कई दफा अनूनय विनय किया कि वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि विरास्तन होने के कारण घरू बंटवारे के मुतबिक वादिया को चक 18 एमकेएस खाता संख्या 24/49 में 0.253 है. व चक 19 एमकेएस खाता संख्या 46/43 मे से 0.253 है. का विरास्तन खातेदार काश्तकार मान लेवे। उसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले टाल मटोल करते रहे एवं पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। यही विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादीया गुरदासो की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यव प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीया ने सम्पूर्ण सिह के वारिसान तस्तदीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मानकसर से जारी कुर्शीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीया ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में नामान्तरण रजिस्टर ग्राम 18 एमकेएस नामान्तरण संख्या 267 एवं चक 19 एमकेएस नामान्तरण संख्या 336 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है तथा चक 18 एमकेएस खाता संख्या 24/49 की जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 खाता सुखविन्द्र सिह वगेरा, चक 19 एमकेएस खाता संख्या 46/43 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता प्रीतमसिह वगैरा एवं इसी चक के खाता संख्या 16/38 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता गरुदेव सिह वगैरा प्रदर्श करवाई गई है जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीया ने कथन किया कि चक 19 एमकेएस के खाता संख्या 46/43 खाता प्रीतमसिह वगैरा में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीया के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीया ने नामान्तरण रजिस्टर ग्राम 18 एमकेएस नामान्तरण संख्या 267 एवं चक 19 एमकेएस नामान्तरण संख्या 336 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीया ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत सर्म्पूणसिह के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। विरास्तन साक्ष्य में नामान्तरण रजिस्टर ग्राम 18 एमकेएस नामान्तरण संख्या 267 एवं चक 19 एमकेएस नामान्तरण संख्या 336 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है तथा चक 18 एमकेएस खाता संख्या 24/49 की जमाबन्दी सम्वत 2070–2074 खाता सुखविन्द्र सिह वगेरा एवं चक 19 एमकेएस खाता संख्या 46/43 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता प्रीतमसिह वगैरा व इसी चक के खाता संख्या 16/38 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता गरुदेव सिह वगैरा प्रदर्श करवाई गई जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी क़ी घोषणा बाबत अपना राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीया साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीया मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर वाद वादीया निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– वादिया को चक 18 एमकेएस के खाता संख्या 24/49 में 0.253 हेक्टर व चक 19 एमकेएस खाता संख्या 46/43 में 0.253 हेक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त चको के उक्त खातो में उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्‌तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 315/2019

गुरदासो पत्नी गुरमीत सिह पुत्री सम्पूर्ण सिह जाति आराई निवासी मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर (पंजाब)

वादीया

बनाम

1 सम्पूर्ण सिंह पुत्र श्री कर्म सिह उर्फ करनैल सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 रमेश कौर पत्नी सम्पूर्ण सिह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3 रीना पत्नी टींकू सिह पुत्री सम्पूर्ण सिह जाति अराई निवासी मुनक तहसील मुनक जिला संगरूर (पंजाब)
4 जसपाल सिह } पिसरान सम्पूर्ण सिह जाति अराई निवासी मानकसर
5 रेशम सिह } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री राजकुमार स्वामी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– वादिया को चक 18 एमकेएस के खाता संख्या 24/49 में 0.253 हेक्टर व चक 19 एमकेएस खाता संख्या 46/43 में 0.253 हेक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त चको के उक्त खातो में उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.............नल.............मुब्लिक.............निल..............बाबत्.............निल.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 17:42:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: